

9-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वादी की संख्या 2 की
 और दाय्य पत्र सादर पेश किया गया था।
 पराबली किया गया पराबली वास्तु वदस
 दिनांक 22-8-19 को पेश है।

22-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वदस सुनी गई वदस
 पर मजबूत किया गया पराबली का अवलोकन किया
 जाइ अवलोकन बाद वादी स्वीकार कर विस्तृत
 निर्णय हुक्म से लिखाया गया। डिजी जारी की
 गई। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाये जाने के
 उपरान्त शांति पराबली की गई। पराबली
 नम्बर के एक की जाकर बाद तत्काल 31/8/19
 दफतर है।

(कपिल अ. देव)
 सहायक कलेक्टर
 एवं उपखण्डाधिकारी
 हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अ

पीठासीन अधिकारी :- कपिल

राजस्व वाद संख्या :- 114/

- 1 विनोद कुमार पुत्र श्री हनुमानगढ़ (राज.)
- 2 अनिल कुमार पुत्र श्री हनुमानगढ़ (राज.)

- 1 सावित्री देवी पत्नी श्री हनुमानगढ़ (राज.)
- 2 मन्जू पुत्री श्री बुधराम दाया तहसील संगरिया

दावा अन्तर्ग

1. श्री शिवराजसिंह खोसा
2. श्री श्रवण कुमार सौलव

वादीगण द्वारा प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया चक 2 ए.आर.डब्ल्यू., तहसील जमाबन्दी सम्वत 2072-75 6/1/.084, 7/1/.084, 8/ 15, 16/1/.085, 17/1/.085 कुल क्षेत्रफल 2.024 हैक्टर द पत्र है जो वाद का आधार है।

वाद पत्र में वर्णित कृषि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिस बंटवारा हो चुका है, जिसमें भूमि का संयुक्त हिन्दू परिवार संख्या 2 की शादी प्रतिवादीय है। प्रतिवादी संख्या 2 अपने स में जो भी हक व हिस्सा प्रति वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 1 विनोद कुमार कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एन

राजस्व वाद संख्या :- 114/2019

- 1 विनोद कुमार पुत्र श्री बुधराम जाति जाट निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 2 अनिल कुमार पुत्र श्री बुधराम जाति जाट निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) -- वादीगण

--:: बनाम ::--

- 1 सावित्री देवी पत्नी श्री बुधराम जाति जाट निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 2 मन्जू पुत्री श्री बुधराम पत्नी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार जाति जाट निवासी दाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--

1. श्री शिवराजसिंह खोसा अधिवक्ता वादी
2. श्री श्रवण कुमार सौलकी प्रतिवादीगण

--:: निर्णय ::--

दिनांक :- 22.08.2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम चक 2 ए.आर.डब्ल्यू., तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 33/32, खाता सावित्री देवी, जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के पत्थर नम्बर 109/341 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 6/1/.084, 7/1/.084, 8/1/.085, 9/1/.085, 10/1/.067, 11/2/.202, 12 ता 15, 16/1/.085, 17/1/.085, 18/1/.084, 19/1/.084, 20/1/.067 कुल कित्ता 15 कुल क्षेत्रफल 2.024 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 की माता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अर्सा दराज पूर्व घराघरू बंटवारा हो चुका है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए घरू बंटवारा किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 की शादी प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा अच्छे घरों में अच्छा दान दहेज देकर की हुई है। प्रतिवादी संख्या 2 अपने ससुराल में राजीखुशी निवास कर रही है तथा वादग्रस्त आराजी में जो भी हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का बनता था वो उसके द्वारा अर्सा दराज पूर्व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क किया हुआ है तथा मुताबिक घराघरू बंटवारा वादी संख्या 1 विनोद कुमार व वादी संख्या 2 अनिल कुमार को दफा 2 वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/3 कृषि भूमि काश्त हेतु दी हुई है, जिस पर वादीगण काबिज है। प्रतिवादीया संख्या 1 सावित्री देवी ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि को स्वयं की काश्त हेतु रखा हुआ है, जिस पर प्रतिवादीया संख्या 1 काबिज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण परस्पर ही एक ही परिवार के सदस्य है एवं संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए संयुक्त रहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित खाता में घराघरू बंटवारा के अनुसार दफा 3 में वर्णित के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा इसी अनुसार काबिज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी

लगातार 2

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा वादीगण रहन, बेचान इत्यादि की सुविधा लेने से वंचित हो रहे हैं। वादीगण मुताबिक घराघरू विभाजन घोषणा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का उक्त घराघरू बंटवारा अनुसार पक्षकारों के मध्य सहमति हुई थी।

पूर्व में वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी प्रतिवादी के पिता व दादा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जिसकी जमाबन्दी शामिल वाद पत्र है तथा प्रतिवादी के पिता व दादा से वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी प्रतिवादी को विरासतन प्राप्त हुई है, इस कारण वाद पत्र की मद संख्या 2 में प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी पूर्णतः जद्दी जायदाद साबित होती है तथा जद्दी जायदाद आराजी में काँ-पार्सनर होने के नाते वादीगण का जन्म से प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर का हक हिस्सा व अधिकार है।

वादीगण इस आशय की घोषणा फरमाई जाने के अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 3 के मुताबिक घराघरू बंटवारा एवं वादीगण के हक व हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को निवेदन कर वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित घराघरू बंटवारे एवं वादीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि के अनुसार वादीगण के नाम उक्त कृषि भूमि को दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :-

(क) वादीगण घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी मुताबिक वाद पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज चक 2 ए.आर.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 33/32, खाता सावित्री देवी, जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के पत्थर नम्बर 109/341 मुरब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 6/1/.084, 7/1/.084, 8/1/.085, 9/1/.085, 10/1/.067, 11/2/.202, 12 ता 15, 16/1/.085, 17/1/.085, 18/1/.084, 19/1/.084, 20/1/.067 कुल किला 15 कुल क्षेत्रफल 2.024 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 1 प्रत्येक 1/3 - 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

(ख) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 02.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो आपस में माता, पुत्र, पुत्री, भाई बहिन वगैरा का सम्बन्ध है। पक्षकारान के रिश्तेदारों व भाई बन्धुओं ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है ताकि एक परिवार के लोगो में

लगातार 3

सहायक
राजस्व अधिकारी
हनुमानगढ

आपसी स्नेह तथा भाईचारा बना रहे तथा एक परिवार के लोगो को मुकदमेंवाजी से बचाया जा सके और लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने मुताबिक घरेलू बंटवारा एवं हक व हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि का निम्न प्रकार से घरेलू बंटवारा करने पर सहमत हुये है। प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम चक 2 ए.आर.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 33/32, खाता सावित्री देवी, जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के पत्थर नम्बर 109/341 मुसब्बा नम्बर 7 किला नम्बर 6/1/.084, 7/1/.084, 8/1/.085, 9/1/.085, 10/1/.067, 11/2/.202, 12 ता 15, 16/1/.085, 17/1/.085, 18/1/.084, 19/1/.084, 20/1/.067 कुल किला 15 कुल क्षेत्रफल 2.024 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह कि उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 2 का हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 की शादी प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा अच्छे घर में अच्छा दान दहेज देकर की हुई है। प्रतिवादीया संख्या 2 अपने ससुराल में राजीखुशी निवास कर रही है तथा वादग्रस्त आराजी में जो भी हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का बनता था वो उनके द्वारा अर्सा दराज पूर्व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क किया हुआ है। वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा हो गया है। पक्षकारान राजीनामा अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण, 1/3 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा की दफा 2 में अंकितानुसार घरेलू बंटवारा करने पर पक्षकारान की सहमति हुई है तथा पक्षकारान ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया है तथा सभी पक्षकारान ने उक्त राजीनामा को अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से बिना किसी दबाव व बहकावे के अपने स्वतंत्र व स्वच्छ मन से स्वीकार किया जाकर तहरीर व तस्दीक करवाया है।

राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा की दफा 2 में वर्णितानुसार 2.024 हैक्टर में प्रत्येक वादीगण 1/3 हिस्सा कृषि भूमि की घोषणा वादीगण के नाम से की जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम संयुक्त रूप से जोडा जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर दावा डिक्री किये जाने के आदेश फरमावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरान बहस विद्वान अधिवक्तागणों ने राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40-53, 38-39-40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 439 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

लगातार 4

अध्यक्ष
काश्तकारी

ए.आई.आर. 1976 ए.आर.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221-22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पत्ति को भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् वंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 सावित्रीदेवी के नाम चक 5 ए. आर.डब्ल्यू. की 2.024 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जददी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादीगण जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होने के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होने से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सत्यमेव जयते

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 9 ए.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 33/32 की 2.024 हैक्टर में वादी संख्या एक विनोद कुमार, वादी संख्या दो अनिल कुमार व प्रतिवादी संख्या एक सावित्रीदेवी को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कैपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक क्लर्क
हनुमानगढ़

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 114/2019

- 1 विनोद कुमार पुत्र श्री बुधराम जाति जाट निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 2 अनिल कुमार पुत्र श्री बुधराम जाति जाट निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

--: बनाम ::--

- 4 सावित्री देवी पत्नी श्री बुधराम जाति जाट निवासी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 5 मन्जू पुत्री श्री बुधराम पत्नी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

दावा अन्तर्गत धारा :- 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :- 22.08.2019

वादीगण की ओर से श्री शिवराजसिंह खोसा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से श्री श्री कुमार सोलंकी अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 22.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 9 ए.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 33/32 की 2.024 हैक्टर में वादी संख्या एक विनोद कुमार, वादी संख्या दो अनिल कुमार व प्रतिवादी संख्या एक सावित्रीदेवी को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

मुहर



(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

--: वाद के खर्चे ::--

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--

